

(अपील संख्या एस-11-ए-0813/2024)

श्री योगी एमपी0 सिंह बनाम ज0सू0अ0 पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर।

समक्ष-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 राज्य सूचना आयुक्त।

आदेश

उभयपक्ष अनुपस्थित हैं। न्यायहित में सुनवाई के लिए एक और अवसर प्रदान किया जाता है। पूर्व पारित आदेश दिनांक 23.09.2024 की प्रति संलग्न कर पक्षकारों को नियमानुसार नोटिस निर्गत की जाए।

वाद सुनवाई के लिए दिनांक 17.12.2024 को प्रस्तुत हो।



05.11.2024

कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम नौएडा, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक-आरटीआई-ब-29/2024

दिनांक: 09.12.2024

अपर पुलिस उपायुक्त नौएडा /
जनसूचना अधिकारी,
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

कृपया अपने पत्र संख्या आर0टी0आई0-ब-29/2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो आवेदक योगी एम.पी. सिंह निवासी मोहल्लासुरेका पुरम संगमोहल-2301001के द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उक्त सम्बन्ध में सूचना थाना प्रभारी थाना सै0-20 नौएडा से प्राप्त की गयी। जिनकी आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। आर0टी0आई0 की धारा 5(4) के अन्तर्गत आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना का स्रोत थाना-सै0-20 नौएडा से हैं। अतः मांगी गयी सूचना की सत्यता के सम्बन्ध में थाना प्रभारी सै0-20 जाँच अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

रिपोर्ट सादर प्रेषित है।
संलग्नक-यथोपरि।

Praveen

सहायक पुलिस आयुक्त-प्रथम
नौएडा, गौतमबुद्धनगर

कार्यालय अपर पुलिस उपायुक्त नोएडा गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- आर0टी0आई0-ब-29/2024

दिनांक- 12/12/2024

सेवा मे,

आवेदक-Yogi M P Singh

Add.-Mohalla-Surekapuram colony, Jabalpur Road,

Distict- Mirzapur Uttar Pradesh-231001

Mob.-7379105911


कृपया अवगत कराना है कि आपके द्वारा दिनांक-17.01.2024 के आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दू पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था। आपके प्रकरण में सूचना धारक तत्कालीन सहायक जनसूचना अधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त प्रथमनोएडा से प्राप्त आख्या आपको पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है,आपके द्वारा प्रकरण में प्रथम अपील प्रेषित की गयी, आपके द्वारा द्वितीय अपील योजित की गयी। आपके द्वारा लगाये गये एतराज पर सम्बन्धित सूचना धारक सहायक जनसूचना अधिकारी/सहायक पुलिस आयुक्त प्रथम नोएडा से प्राप्त आख्या पुनः संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक:-

पत्रांक- RTI ब-29/2024

शिकायत संख्या- एस11/ए/0813/2024

पंजीकरण संख्या- ए-20240602365


अपर पुलिस उपायुक्त नोएडा /
जनसूचना अधिकारी
कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

सेवा मे ,

श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त महोदय,


नोएडा जोन जनपद गौतमबुद्धनगर

विषय:-आर0टी0आई0 -ब-29/2024 दि0-23.01.2024 आवेदक श्री योगी एम.पी. सिंह निवासी मोहल्ला सुरेका पुरम संगमोहल -2301001 के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध मे आख्या:-

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आवेदक श्री योगी एम.पी. सिंह निवासी मोहल्ला सुरेका पुरम जबलपुर रोड संगमोहल द्वारा आरटीआई के माध्यम से मांगी गयी मु0अ0स0 203/2023 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सैक्टर 20 नोएडा से मस्बन्धित है आवेदक मुकदमा उपरोक्त में न तो वादी हौ और न ही प्रतिवादी है। उक्त मुकदमें की मुझ निरीक्षक कैलाश नाथ के द्वारा सम्पादित की जा रही है। जो वर्तमान में प्रचलित है। अन्वेषण प्रभावित होने की स्थिति में आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचना जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 (ज) के अन्तर्गत देय नहीं है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।



(कैलाश नाथ)
07/01/24 निरीक्षक

थाना सैक्टर 20 नोएडा

गौतमबुद्धनगर।

श्रीमान जी

अग्रसारित


प्रमुख निरीक्षक
थाना-सै० 20, नोएडा
गौतमबुद्धनगर

